जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं. 174 / 2021

तारीख दायर 25.10.2021

तारीख फैसला 12.9.2023

–उनवान –

1. रामफूल पुत्र पॉचूराम
2. कमलेश पुत्र पांचूराम
3. सियाराम पुत्र पांचूराम

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खरड तहसील जमवारामगढ़ हाल तहसील आंधी

................वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र कानियां
2. रामकंवार पुत्र कानियां
3. गोपाल पुत्र स्व0 किशना
4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 किशना
5. भवरी पत्नि स्व0 किशना

जातियान मीना निवासी ग्राम खरड तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

6. छाजी पुत्री पांचूराम
7. बरदी पत्नी पांचूराम
8. बसन्ती पुत्री पांचूराम
9. राजन्ती पूत्री पांचूराम

जाति मीना निवासी ग्राम खरड तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

10 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

11 उप पंजीयक जमवारामगढ

........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा :– वकील वादीगण

श्री रमांशकर शर्मा :– वकील प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 घोषणा , बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

-: निर्णय :-

वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी 19 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकसबा 0.92 हैक्टेयर खसरा नम्बर 308 रकबा 1.33 हैक्टेयर , 376 रकवा 2.1800 हैक्टेयर किता 4.8800 हैक्टेयर वाके ग्राम खरड पटवार मण्डल भावनी मे राजस्व रिकार्ड में अविभाजित रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी मे स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीया में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का संयुक्त खातेदारी हिस्सा 1/2 अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकित है । अतः दावा बाबत बंटवारा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमियो में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का संयुक्त हिस्सा 1/2 भाग अनुसार भूमि का विधिवत विधिक रूप से मुताबिक सरस नरस बंटवारा कराया जावें तथा वादीगण की भूमि का राजस्व रिकार्ड व लगान प्रतिवादीगण से अलग अलग कायम कराया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को रजि. डाक तलवी नोटिस जारी कर तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 की ओर से श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने यूटी दी । तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद रजि. डाक सूचना अनु. रहने पर दिनांक 29.8.2022 को इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । वकील वादी की बहस सुनी जाकर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित तहसीलदार को आदेशित किया गया कि दोनो पक्षो को सूचित करते हुये सरस नरस , कब्जा व रास्ते को मध्य नजर रखते हुये कुर्रेजात के प्रस्ताव भिजवाए। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री रंमाशकर शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 16.2.2023 को वकालतनामा व प्रार्थना पत्र बाबत एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने का पेश किया । तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक रीडर/2021 / 1425 दिनांक 7.10.2022 द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाये गये जो शामिल मिसल किये गये । वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र बाबत एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने पर बहस सुनी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया

वकील उभक्ष की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई । वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात तकासमा करने हेतु निवेदन किया । वकील प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शे में जो गैर मु.सडक/रास्ता दर्शाया गया है जो खसरा नम्बर 308/1 मे फंर्ट कम दर्शाया गया है जिसको बराबर बराबर किया जावे तथा उक्त खसरा नम्बरो मे लगा हुआ बोरिंग है उसमे आने जाने मे कोई किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें । तथा खसरा नम्बर 376/1, 376/2 के मध्य विभाजन लाईन सही दर्शाई जावे। पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तहसीलदार के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिर्पोट प्रस्तुत की।जिसको आंशिक स्वीकार की गई । तहसीलदार ने बटवारा हिस्से अनुसार किया । बहस के दोरान दोनो की ओर से पक्षकार अपने अपने पक्ष में उपस्थित होकर निवेदन किया कि खसरा नम्बरा 308/1, व 308/2

मे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा मे जो गै.मु. सडक/रास्ता, दर्शाया गया है, जो खसरा नम्बर 308/1 में फंर्ट कम दर्शाया गया है, दोनो सह खातेदारो को फंर्ट की भूमि बराबर–बराबर किये जाने एवं खसरा नम्बर 308/2 मे आवागमन बाधा नहीं करे एवं उक्त खसरा नम्बरो मे लगा हुआ बोरिंग पर आने जाने मे कोई भी किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे इस पर दोनो पक्षकार सहमत हुये ।

अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी 19 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकसबा 0.92 हैक्टेयर खसरा नम्बर 308 रकबा 1.33 हैक्टेयर , 376 रकबा 2.1800 हैक्टेयर किता 4.8800 हैक्टेयर वाके ग्राम खरड पटवार मण्डल भावनी मे राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

क.सं.	नाम खातेदार मय वान्दियत	खसरानम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	बरदी पत्नी स्वं. पांचूराम , कमलेश ,छाजी, बसन्ती, राजन्ती, रामफूल , सियाराम, पुत्र पुत्रिया स्वं. पांचूराम ब.हि.ब. जाति मीना सां. देह खातेदार राहिन पूर्ण हिस्सा ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शांखा कानोता	19/1 252/1 308/2 376/2	0.2250 0.4600 0.6650 1.0900	चाही 2 बारानी2 चाही ए बारानी1	5.18 2.30 31.25 7.63
		योग	2.4400		46.36
2	कालू, किशना (फोत), रामकुवांर पि0 कानिया ब0हि0ब0 जाति मीना सा0 देह खातेदार	19/2 252/2 308/1 376/1	0.2250 0.4600 0.6650 1.0900	चाही 2 चाही 2 चाही ए बारानी1	5.17 2.30 31.26 7.63
		योग	2.4400 हैक्टे.		46.36

नोटः– 1.. खसरा नम्बरा 308/1, व 308/2 मे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा मे जो गै.मु. सडक/रास्ता, दर्शाया गया है, जो खसरा नम्बर 308/1 में फंर्ट कम दर्शाया गया है, इस लिये गुणावगुण के आधार पर लाल स्यायी से दर्शाई गई लाईन को हजफ किया जाता है तथा दोनो सह खातेदारो को फंर्ट की भूमि इस प्रकार से बराबर–बराबर किया जावे कि खसरा नम्बर 308/2 मे आवागमन बाधित नहीं हो जिसके अनुसार तकासमा किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरो मे लगा हुआ बोरिंग जिस

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

खातेदार का है उसको आने जाने मे कोई भी किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करेगा।

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथ एक दूसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हैं।

निर्णय आज 12.9.2023 को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/9/23

सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18 – 21)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं. 174/2021

तारीख दायर 25.10.2021

1. रामफूल पुत्र पॉचूराम
2. कमलेश पुत्र पांचूराम
3. सियाराम पुत्र पांचूराम

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खरड तहसील जमवारामगढ़ हाल तहसील आंधी

................वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र कानियां
2. रामकंवार पुत्र कानियां
3. गोपाल पुत्र स्व0 किशना
4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 किशना
5. भवरी पत्नि स्व0 किशना

जातियान मीना निवासी ग्राम खरड तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

6. छाजी पुत्री पांचूराम
7. बरदी पत्नी पांचूराम
8. बसन्ती पुत्री पांचूराम
9. राजन्ती पूत्री पांचूराम

जाति मीना निवासी ग्राम खरड तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
11. उप पंजीयक जमवारामगढ

........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा :– वकील वादीगण

श्री रमांशकर शर्मा :– वकील प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 घोषणा , बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

अन्तिम डिक्री दिनांक 12.9.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर0 ए0 एस0 व हाजिरी श्री महेश, श्री रंमाशंकर शर्मा एडवोकेट मिनजातिब श्री महेश शर्मा मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी 19 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकसबा 0.92 हैक्टेयर खसरा नम्बर 308 रकबा 1.33 हैक्टेयर , 376 रकबा 2.1800 हैक्टेयर किता 4.8800 हैक्टेयर वाके ग्राम खरड पटवार मण्डल भावनी मे राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

प्रस्तावित कुर्रेजात अनुसार

क.सं.	नाम खातेदार मय वान्दियत	खसरानम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	बरदी पत्नी स्वं. पांचूराम , कमलेश ,छाजी, बसन्ती, राजन्ती, रामफूल , सियाराम, पुत्र पुत्रिया स्वं. पांचूराम ब.हि.ब. जाति मीना सां. देह खातेदार राहिन पूर्ण हिस्सा ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शांखा कानोता	19/1 252/1 308/2 376/2	0.2250 0.4600 0.6650 1.0900	चाही 2 बारानी2 चाही ए बारानी1	5.18 2.30 31.25 7.63
		योग	2.4400		46.36
2	कालू, किशना (फोत), रामकुवांर पि0 कानिया ब0हि0ब0 जाति मीना सा0 देह खातेदार	19/2 252/2 308/1 376/1	0.2250 0.4600 0.6650 1.0900	चाही 2 चाही 2 चाही ए बारानी1	5.17 2.30 31.26 7.63
		योग	2.4400 हैक्टे.		46.36

नोटः–1. खसरा नम्बरा 308/1, व 308/2 मे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा मे जो गै.मु. सडक/रास्ता, दर्शाया गया है, जो खसरा नम्बर 308/1 में फंर्ट कम दर्शाया गया है, इस लिये गुणावगुण के आधार पर लाल स्यायी से दर्शाई गई लाईन को हजफ किया जाता है तथा दोनो सह खातेदारो को फंर्ट की भूमि इस प्रकार से बराबर–बराबर किया जावे कि खसरा नम्बर 308/2 मे आवागमन बाधित नहीं हो जिसके अनुसार तकासमा किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरो मे लगा हुआ बोरिंग जिस खातेदार का है उसको आने जाने मे कोई भी किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करेगा।

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पावन्द किया जाता हैं

सहायक कलक्टर (प्रथम)
जमवारामगढ़ (जयपुर)

कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथ एक दुसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हैं।

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),